

प्ररूप-45

(नियम-283 देखे)
परिवारिक पेंशन हेतु आवेदन

- 1, आवेदक का नाम और पता
- 2, पेंशन भोगी/ कर्मकार का पता
- 3, कर्मकार के साथ सम्बन्ध
- 4, कर्मकार की मृत्यु की तारीख
- 5, कर्मकार द्वारा प्राप्त की गई मासिक पेंशन
- 6, क्या आवेदक सरकार/ अथवा किसी अन्य संस्था से पेंशन प्राप्त कर रहा है।
यदि हां तो इसका विवरण ।
- 7, क्या आवेदक को सरकारी/अर्धसरकारी/ निजि संस्थानों से वेतन प्राप्त कर रहा है! यदि हा तो इसका विवरण।
- 8, प्रस्तुत दस्तावेजों की सूची।

उपरोक्त तथ्य मेरे समुचित ज्ञान और सूचनाओं के अनुसार सही है।

स्थान :

तारीख :

आवेदक का नाम तथा हस्ताक्षर

आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

- 1, कर्मकार का मृत्यु प्रमाण पत्र
- 2, आवेदक और कर्मकार के मध्य संबंध दर्शाने वाले ग्राम अधिकारी का प्रमाणपत्र
- 3, ग्राम अधिकारी से प्रमाणपत्र जिसमें वर्णन हो कि आवेदनकर्ता को सरकारी/ अर्धसरकारी/गैरसरकारी संस्था से कोई पेंशन प्राप्त नहीं हो रहा है।
- 4, ग्राम अधिकारी से प्रमाण पत्र जिसमें वर्णन हो कि आवेदनकर्ता को किसी सरकारी/अर्धसरकारी/गैर सरकारी संस्था से वेतन नहीं मिल रहा है।